

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम बीरलसो
रामपुरे बनाम गोट फिडे
 किस्म मुकदमा SBR-113-18 नं. 113-18 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/6/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>मुंझवा</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारां <u>55</u> आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि <u>शफाहे, गोट फिडे, प्रकाशके, लिनके, सुगताके फि धरणा मोम धूजाका फस्ता, एवं गायलोक मज्जा पीक द्वारा आपकी सहमती द्वारा फि वलाक फेसलियो गामो</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>मुंझवा</u> ① <u>शफाहे, गोट फिडे, प्रकाशके, लिनके, सुगताके फि धरणा मोम धूजाका फस्ता</u> <u>6981, 0.27, 5.13</u> ② <u>गोट/मज्जा मोम</u> <u>6981, 0.27, 5.13</u></p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार वडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर
 वडीसादडी (राज.)

